प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / एन0पी0सी0डी0सी0एस0 / 2017–18 / 8608-75 दिनांक 17-11-17

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ0एम0आर0 मद सं0 B.16.2.11.8.d एवं B.16.2.11.8.e पर Glucostrips, Lancets & Swab के क्रय हेतु अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा एफ0एम0आर0 मद सं0 B.16.2.11.8.d एवं B.16.2.11.8.e पर रू0 257.25 लाख एवं रू0 1724.50 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. अतः प्रमुख सचिव / अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा Glucostrips, Lancets & Swab हेतु एफ0एम0आर0 मद सं0 B.16.2.11.8.d एवं B.16.2.11.8.e पर अनुमोदित धनराशि से 50 प्रतिशत धनराशि सी0एम0एस0डी0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा जारी दर अनुबन्ध–आर0सी0 819 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार क्रय करने हेतु निम्नलिखित तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है– (Payment Advice No.- C111705448532 Dt. 17.11.2017)

Amount in Rs.

Sl. No.	Name of Districts	Glucostrips, Lancets, (2500 per PHC @ Rs. 10/ Glucostrips, Lancets & Swabs	Glucostrips, Lancets, (2500 per SC @ Rs. 10/ Glucostrips, Lancets & Swabs)	Total
		B.16.2.11.8.d	B.16.2.11.8.e	
1	Agra	537500	1262500	**1800000**
2	Aligarh	437500	1037500	**1475000**
3	Allahabad	750000	2062500	**2812500**
4	Ambedkar Nagar	300000	875000	**1175000**
5	Amethi	0	675000	**675000**
6	Amroha	0	537500	**537500**
7	Auraiya	0	500000	**500000**
8	Azamgarh	0	1550000	**1550000**
9	Badaun	0	925000	**925000**
10	Baghpat	0	625000	**625000**
11	Bahraich	612500	975000	**1587500**
12	Balarampur	0	650000	**650000**
13	Ballia	0	1150000	**1150000**
14	Banda	0	875000	**875000**
15	Barabanki	662500	1100000	**1762500**
16	Bareilly	125000	1250000	**1375000**
17	Basti	0	812500	**812500**
18	Bijnor	0	1075000	**1075000**
19	Bulandshahar	0	1075000	**1075000**

20	Chandauli	0	775000	**775000**
21	Chitrakoot	0	437500	**437500**
22	Deoria	0	1037500	**1037500**
23	Etah	0	562500	**562500**
24	Etawah	337500	2112500	**2450000**
25	Faizabad	350000	775000	**1125000**
26	Farrukhabad	325000	2400000	**2725000**
27	Fatehpur	0	1012500	**1012500**
28	Firozabad	650000	2750000	**3400000**
29	G.B. Nagar	0	400000	**400000**
30	Ghaziabad	0	500000	**500000**
31	Ghazipur	0	1225000	**1225000**
32	Gonda	137500	1012500	**1150000**
33	Gorakhpur	725000	1650000	**2375000**
34	Hamirpur	0	675000	**675000**
35	Hapur	0	537500	**537500**
36	Hardoi	712500	1350000	**2062500**
37	Hathras	0	612500	**612500**
38	Jalaun	375000	3575000	**3950000**
39	Jaunpur	0	887500	**887500**
40	Jhansi	450000	4075000	**4525000**
41	Kannuj	325000	562500	**887500**
42	Kanpur Dehat	0	700000	**700000**
43	Kanpur Nagar	437500	1225000	**1662500**
44	Kasganj	0	512500	**512500**
45	Kaushambi	0	525000	**525000**
46	Kushinagar	0	1125000	**1125000**
47	Lakhimpur-Kheri	675000	4837500	**5512500**
48	Lalitpur	287500	2475000	**2762500**
49	Lucknow	337500	1075000	**1412500**
50	Mahoba	0	475000	**475000**
51	Mahrajganj	0	925000	**925000**
52	Mainpuri	0	625000	**625000**
53	Mathura	0	637500	**637500**
54	Mau	0	712500	**712500**
55	Meerut	387500	1025000	**1412500**
56	Mirzapur	437500	825000	**1262500**
57	Moradabad	362500	850000	**1212500**
58	Muzaffarnagar	0	862500	**862500**
59	Pilibhit	0	625000	**625000**
60	Pratapgarh	0	1125000	**1125000**
61	Raebareli	612500	4087500	**4700000**
62	Rampur	0	637500	**637500**
63	S.R. Nagar (Bhadohi)	0	512500	**512500**
64	Saharanpur	0	975000	**975000**
65	Sambhal	0	675000	**675000**
66	Sant Kabir Nagar	0	550000	**550000**
67	Shahjahanpur	0	887500	**887500**
68	Shamli	0	400000	**400000**
69	Shrawasti	0	387500	**387500**
70	Siddhartha Nagar	0	875000	**875000**
71	Sitapur	737500	1462500	**2200000**
72	Sonbhadra	0	537500	**537500**
73	Sultanpur	500000	3062500	**3562500**
74	Unnao	0	1112500	**1112500**
75	Varanasi	275000	962500	**1237500**
Total		**12862500**	**86225000**	**99087500**

3. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आर0ओ0पी0 वर्ष 2017–18 में एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग हेतु Conditionalities निर्धारित की गई है, जिसके अन्तर्गत कम से कम 3 प्रतिशत की जनसंख्या की स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में 06 अंक के दण्ड का प्राविधान है। अतः उक्त दण्ड के प्रविधान से बचे जाने हेतु दर अनुबंध के अनुसार अनुबंधित फर्म को शीघ्र क्रयादेश जारी कर स्क्रीनिंग का कार्य सुनिश्चित किया जाये।

4. आंवटित धनराशि से Glucostrip, lancet & swabs का क्रय किया जाना है तथा अनुबंधित फर्म द्वारा प्रत्येक 2000 स्ट्रिप/लैन्सेट की आपूर्ति पर 01 ग्लूकोमीटर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

5. भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त Operatinol guideline में पृष्ठ सं0 37 पर Glucostrip, lancet & swabs @ 10/-person for 2500 persons निर्धारित की गई है अतः Glucostrip एवं lancet का क्रय दर अनुबंध के अनुसार तथा Swab का क्रय राज्य क्रय नियमानुसार किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाये की Glucostrip, lancet & swabs का क्रय उक्त सीमा के अन्दर ही किया जायेगा

6. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

7. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

9. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

10. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

11. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

12. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नकः–यथोक्त

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0:एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / एन0पी0सी0डी0सी0एस0 / 2017–18 / 8628-75-6 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ0प्र0।
3. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0सी0डी0सी0एस0, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।

(राजकीय केन्द्रीय औषधि भण्डार, अनुभाग–8)

पत्र सं0–8फ / आ0सी0–819 / 　　　　　　　　　　　　लखनऊ : दिनांक 27- जुलाई, 2017

"निविदा सं0–आर0सी0–819 की संशोधित दरें"

वर्ष 2017–18 में ग्लूकोमीटर विद रिफिल के दर अनुबन्ध हेतु महानिदेशालय स्तर से नोटिफिकेशन संख्या–8फ / आर0सी0–819 / 722 दिनांक 16.05.2017 जारी किया गया था, जिसमें दर अनुबंध वाली फर्म *M/s Roche Diabetes care India Pvt.Ltd.* का पत्र दिनांक 27.07.2017 प्राप्त हुआ है, जिसमें फर्म द्वारा ग्लूकोमीटर हेतु रिफिल की अंकित दर 10.65 कर सहित से घटाकर 8.71 कर सहित कर दिया है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्र0सं0	*फर्म का नाम*	*आइटम का विवरण*	*निविदा में अंकित दरें 5%Vat सहित*	*घटी हुई वर्तमान दरें 12%GST सहित*
1	M/s Roche Diabetes care India Pvt.Ltd.	Reffil (Gluco Strip Accu-Chek Performa+Auto Disabled Lancet)	10.65	8.71

कृपया आइटम के विररण को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त घटी दरों पर क्रय करना सुनिश्चित करें।

(रूकुम केश)
निदेशक (भण्डार)

पृष्ठांकन संख्या–8फ / आर0सी0 –819 / 2009-28 　　　　　तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. नोडल अधिकारी, डी0वी0डी0एम0एस0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (राष्ट्रीय कार्यक्रम), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त नियंत्रक स्वास्थ्य भवन, लखनऊ ।
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं प्रमुख अधीक्षक / मुख्य अधीक्षक राजकीय मेडिकल कालेज उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त जनपदीय अधिकारियों को इस दर अनुबंध से अवश्य अवगत करायें तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जनपदीय समस्त चिकित्सालय / पुरूष / महिला / पुलिस को भी अवगत करायें।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/एन0पी0सी0डी0सी0एस0/2017–18/ दिनांक 17-11-17

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ0एम0आर0 मद सं0 B.16.2.11.8.d एवं B.16.2.11.8.e पर Glucostrips, Lancets & Swab के क्रय हेतु अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा एफ0एम0आर0 मद सं0 B.16.2.11.8.d एवं B.16.2.11.8.e पर रू0 257.25 लाख एवं रू0 1724.50 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. अतः प्रमुख सचिव/अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा Glucostrips, Lancets & Swab हेतु एफ0एम0आर0 मद सं0 B.16.2.11.8.d एवं B.16.2.11.8.e पर अनुमोदित धनराशि से 50 प्रतिशत धनराशि सी0एम0एस0डी0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा जारी दर अनुबन्ध–आर0सी0 819 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार क्रय करने हेतु निम्नलिखित तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है– (Payment Advice No.- C 111705448532 Dt. 17.11.2017)

Amount in Rs.

Sl. No.	Name of Districts	Glucostrips, Lancets, (2500 per PHC @ Rs. 10/ Glucostrips, Lancets & Swabs	Glucostrips, Lancets, (2500 per SC @ Rs. 10/ Glucostrips, Lancets & Swabs)	Total
		B.16.2.11.8.d	B.16.2.11.8.e	
1	Agra	537500	1262500	**1800000**
2	Aligarh	437500	1037500	**1475000**
3	Allahabad	750000	2062500	**2812500**
4	Ambedkar Nagar	300000	875000	**1175000**
5	Amethi	0	675000	**675000**
6	Amroha	0	537500	**537500**
7	Auraiya	0	500000	**500000**
8	Azamgarh	0	1550000	**1550000**
9	Badaun	0	925000	**925000**
10	Baghpat	0	625000	**625000**
11	Bahraich	612500	975000	**1587500**
12	Balarampur	0	650000	**650000**
13	Ballia	0	1150000	**1150000**
14	Banda	0	875000	**875000**
15	Barabanki	662500	1100000	**1762500**
16	Bareilly	125000	1250000	**1375000**
17	Basti	0	812500	**812500**
18	Bijnor	0	1075000	**1075000**
19	Bulandshahar	0	1075000	**1075000**

20	Chandauli	0	775000	775000
21	Chitrakoot	0	437500	437500
22	Deoria	0	1037500	1037500
23	Etah	0	562500	562500
24	Etawah	337500	2112500	2450000
25	Faizabad	350000	775000	1125000
26	Farrukhabad	325000	2400000	2725000
27	Fatehpur	0	1012500	1012500
28	Firozabad	650000	2750000	3400000
29	G.B. Nagar	0	400000	400000
30	Ghaziabad	0	500000	500000
31	Ghazipur	0	1225000	1225000
32	Gonda	137500	1012500	1150000
33	Gorakhpur	725000	1650000	2375000
34	Hamirpur	0	675000	675000
35	Hapur	0	537500	537500
36	Hardoi	712500	1350000	2062500
37	Hathras	0	612500	612500
38	Jalaun	375000	3575000	3950000
39	Jaunpur	0	887500	887500
40	Jhansi	450000	4075000	4525000
41	Kannuj	325000	562500	887500
42	Kanpur Dehat	0	700000	700000
43	Kanpur Nagar	437500	1225000	1662500
44	Kasganj	0	512500	512500
45	Kaushambi	0	525000	525000
46	Kushinagar	0	1125000	1125000
47	Lakhimpur-Kheri	675000	4837500	5512500
48	Lalitpur	287500	2475000	2762500
49	Lucknow	337500	1075000	1412500
50	Mahoba	0	475000	475000
51	Mahrajganj	0	925000	925000
52	Mainpuri	0	625000	625000
53	Mathura	0	637500	637500
54	Mau	0	712500	712500
55	Meerut	387500	1025000	1412500
56	Mirzapur	437500	825000	1262500
57	Moradabad	362500	850000	1212500
58	Muzaffarnagar	0	862500	862500
59	Pilibhit	0	625000	625000
60	Pratapgarh	0	1125000	1125000
61	Raebareli	612500	4087500	4700000
62	Rampur	0	637500	637500
63	S.R. Nagar (Bhadohi)	0	512500	512500
64	Saharanpur	0	975000	975000
65	Sambhal	0	675000	675000
66	Sant Kabir Nagar	0	550000	550000
67	Shahjahanpur	0	887500	887500
68	Shamli	0	400000	400000
69	Shrawasti	0	387500	387500
70	Siddhartha Nagar	0	875000	875000
71	Sitapur	737500	1462500	2200000
72	Sonbhadra	0	537500	537500
73	Sultanpur	500000	3062500	3562500
74	Unnao	0	1112500	1112500
75	Varanasi	275000	962500	1237500
Total		**12862500**	**86225000**	**99087500**

3. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आर0ओ0पी0 वर्ष 2017–18 में एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग हेतु Conditionalities निर्धारित की गई है, जिसके अन्तर्गत कम से कम 3 प्रतिशत की जनसंख्या की स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में 06 अंक के दण्ड का प्राविधान है। अतः उक्त दण्ड के प्रविधान से बचे जाने हेतु दर अनुबंध के अनुसार अनुबंधित फर्म को शीघ्र क्रयादेश जारी कर स्क्रीनिंग का कार्य सुनिश्चित किया जाये।

4. आंवटित धनराशि से Glucostrip, lancet & swabs का क्रय किया जाना है तथा अनुबंधित फर्म द्वारा प्रत्येक 2000 स्ट्रिप/लैन्सेट की आपूर्ति पर 01 ग्लूकोमीटर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

5. भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त Operatinol guideline में पृष्ठ सं0 37 पर Glucostrip, lancet & swabs @ 10/-person for 2500 persons निर्धारित की गई है अतः Glucostrip एवं lancet का क्रय दर अनुबंध के अनुसार तथा Swab का क्रय राज्य क्रय नियमानुसार किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाये की Glucostrip, lancet & swabs का क्रय उक्त सीमा के अन्दर ही किया जायेगा

6. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

7. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

9. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

10. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

11. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

12. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

<u>संलग्नकः–यथोक्त</u>

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0:एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / एन0पी0सी0डी0सी0एस0 / 2017–18 / 8608-75-18 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ0प्र0।
3. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0सी0डी0सी0एस0, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0